"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 अप्रैल 2017 — वैशाख 2, शक 1939

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक 1848/एफ 1-2/2016/रास/यू.-8. — छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) में निहित प्रावधान अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम पांच व्यक्तियों का एक पेनल अनुशंसित करने हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है :-

1.	श्री एस. के. मिश्रा, पूर्व मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक आयोग, रायपुर.	-	कार्य-परिषद् द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति.
2.	प्रोफेसर आर. सी. कुहद कुलपति, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)	-	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति.
3.	डॉ. (कर्नल) एस. के. पाटील कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.)	-	कुलाधिपति, द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति.

2. माननीय कुलाधिपिति द्वारा डॉ. (कर्नल) एस. के. पाटील, को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त समिति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 (5) के अंतर्गत यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छ: सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को पेनल प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-
(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.